

आर.ई.ओ - 296

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(आर.ई. सर्किल)


क्र.जे.पी.डी./मु. अ.(पीपीएम)/अधी.अभि.(आर.ई.)/अधि.अभि.(II)/सहा. अभि (II)/प. 146/प्रे. 486 दि 26-3-15

आदेश

विषय:- निरस्त कृषि कनेक्शन पत्रावलियों को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में।

जिन कृषि कनेक्शन पत्रावलियों के मांग पत्र दिनांक 01.04.2013 एवं इसके बाद जारी किये गये एवं किसी कारणवश आवेदक मांग पत्र राशि जमा नहीं करवा सके तथा पत्रावलियां निरस्त हो गयीं उन आवेदकों को मांग पत्र जमा कराने हेतु एक अवसर और दिये जाने के निर्देश निम्न प्रावधानों के साथ दिये जाते हैं -

1. आवेदक जिनकी कृषि कनेक्शन पत्रावलियां मांग पत्र की राशि जमा न करवाने के कारण निरस्त हो गयी है उन्हें निगम द्वारा पुनर्जीवित करने के लिये ₹ 500/- जमा करवाने हेतु दिनांक 01.04.2015 से 15.04.2015 तक रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किया जावेगा।
2. मांग पत्र की राशि 16.04.2015 से 15.05.2015 तक जमा करानी होगी अन्यथा पत्रावली बिना अन्य किसी सूचना के रद्द मानी जावेगी।
3. इन पुनर्जीवित कृषि कनेक्शन पत्रावलियों की प्राथमिकता मांग पत्र की राशि जमा होने की तिथि से निर्धारित की जावेगी।


(नवीन अरोड़ा)
मुख्य अभियंता(पीपीएम)

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. उर्जा सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
3. निदेशक (तकनीकी/वित्त) जयपुर/अजमेर/जोधपुर/जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
4. सम्भागीय मुख्य अभियंता (जयपुर/भरतपुर/कोटा) जयपुर/भरतपुर/कोटा।
5. अतिरिक्त मुख्य अभियंता (आई.टी.एम एण्ड पी. डी. एस. एम.) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर।
6. सलाहकार आयुक्त (विद्युत) निजी सचिवालय, जयपुर।
7. अधीक्षण अभियंता (पवस/जे.सी.सी./जेपीडीसी/एम.आई.एस./प्लान/विधि/आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
8. अधीक्षण अभियंता (प्लान/पीपीएण्डएम) अजमेर/जोधपुर डिस्कॉम अजमेर/जोधपुर।
9. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतकर्ता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (रामबाग सर्किल), जयपुर।
10. मुख्य/वरिष्ठ लेखाधिकारी () जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.
11. विशिष्ट सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार जयपुर।
12. प्रावैधिक सहायक राज्यमंत्री ऊर्जा विभाग, विद्युत भवन, जयपुर।
13. प्रावैधिक सहायक सलाहकार (ऊर्जा) मुख्यमंत्री योजना भवन, जयपुर।
14. प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर/अजमेर/जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर/अजमेर/जोधपुर।
15. प्रावैधिक सहायक, मुख्य अभियंता (पीपीएम) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर।
16. अधिशाषी अभियंता (पवस/ग्रिडिन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।
17. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर।
18. निजी सचिव माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान सरकार, जयपुर को माननीय ऊर्जा मंत्री को सूचनार्थ।
19. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को माननीय अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक को सूचनार्थ।
20. इन्चार्ज, कन्ट्रोल रूम मुख्य अभियंता (जयपुर जोन) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि, जयपुर।


मुख्य अभियंता(पीपीएम)